



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 168 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

संकल्प

6 मार्च, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-109/2018-19436 (HRMS)--**चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दिलीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-151/20, गृह जिला-राँची) तत्कालीन अंचलाधिकारी- सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका के विरुद्ध नामान्तरण वाद सं०-170/15-16 को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर निजी स्वार्थवश रेलवे की अधिग्रहित भूमि को बिना अंचल निरीक्षक से अनुशंसा प्राप्त किये नामांतरण करने, स्थल निरीक्षण नहीं करने, नामांतरण स्वीकृत करने के पूर्व कार्यालय में संधारित अभिलेखों/कागजातों का अवलोकन नहीं करने एवं नोटिस का तामिला नहीं कराने आदि आरोप, जैसा कि उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1730/गो०, दिनांक-16.08.2018 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-क) में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री महतो के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, दुमका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.       | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | DILIP KR.<br>MAHTO<br>JHK/JAS/137 | श्री दिलीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-151/20, गृह जिला-राँची) तत्कालीन अंचलाधिकारी- सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका, संप्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सदर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री दिलीप कुमार महतो, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्दु दोराईबुरु,**

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057

-----